राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी अनुपस्थित।

प्रकरण आज मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 482/2007 सेन्ट्रल बैंक विरूद्ध पूरन सिंह का मूल अभिलेख प्राप्ति हेतु नियत है।

उक्त मूल अभिलेख आहूत किये जाने के लिए प्रेषित मांग-पत्र सहायक अभिलेखापाल श्री प्रदीप शर्मा की इस टीप के साथ वापस प्राप्त कि "उक्त प्रकरण का विनष्टीकरण सरल क्रमांक 1025 पर दिनांक : 31/12/2015 को किया जा चुका है। इस टीप के साथ ही विनष्टीकरण रजिस्ट्रीकरण रजिस्टर की सरल कमांक 1025 की छायाप्रति भी सहायक अभिलेखापाल श्री प्रदीप शर्मा द्वारा प्रेषित की गई है, जिसके अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उक्त मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 482/2007 सेन्ट्रल बैंक विरूद्ध अन्तर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट में आरोपी को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष राजीनामा हो जाने के कारण दिनांक : 30 / 11 / 2013 को आरोपी पूरन को दोषमुक्त किया गया है और तत्पश्चात उक्त प्रकरण का मूल अभिलेख दिनांक : 31 / 12 / 2015 को विनष्ट कर दिया गया है। ऐसी दशा में आरोपी के उक्त मूल आपराधिक प्रकरण में दोषमुक्त कर दिये जाने के कारण उसके विरूद्ध अर्थदण्ड की राशि अदायगी संबंधी हस्तगत एम.जे.सी. को चलाये रखने का कोई विधिक औचित्य प्रतीत नहीं होता है। फलतः ऐसी दशा में उक्त अपीलीय प्रकरण में आरोपी पूरन को दोषमुक्त कर दिये जाने के कारण हस्तगत प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की गई।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

> पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी., गोहद